171

रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰—33004/96

REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 127] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1996/चैत्र 9, 1918

No. 127] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1996/CHAITRA 9, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

सा॰ का॰ नि॰ 155(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जवाहर लाल पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1996 को एतद्द्वारा अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल नेहरू पत्तन का न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**—

(i) इन विनियमों का नाम जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1996 है।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 में क्रम सं॰ 2 के सामने, "पदनाम" को "हार्बर मास्टर" की बजाए "उप संरक्षक" पढ़ा जाए।

पाद टिप्पणी :—

मुख्य विनियम दिनांक 14-07-1993 के भारत के राजपत्र में सा॰ का॰ नि॰ सं॰ 512 (अ) के तहत प्रकाशित हुए थे।

हार्बर मास्टर (उप-संरक्षक के रूप में पुनः पदनामित) के पद के लिए भर्ती नियम

1	2	3	4	5	6	7
2.	हार्बर मास्टर (उप-संरक्षक के रूप में पुनः पदनामित)	1	6000-175-7225 रु०	1	45 वर्ष	अनिवार्य :— 1. (जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जलयानों के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण-पत्र ।) 2. समुद्रगामी जलयानों के पायलट के रूप में नौचालन में 15 वर्ष का अनुभव । वांछनीय :— सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा।

8	9	10	11
अर्हता :—हां आयु :—नहीं	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण जिन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति :— कोई व्यक्ति जो 3 वर्ष से वरिष्ठ गोदी मास्टर के पद पर हो जिसके न मिलने पर 5 वर्ष से गोदी मास्टर का पद धारक व्यक्ति । स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— कोई व्यक्ति जो सदृश पद पर हो अथवा 3 वर्ष से वरिष्ठ गोदी मास्टर के समकक्ष पद पर हो अथवा 5 वर्ष से गोदी मास्टर के समकक्ष पद पर हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी)	2 वर्ष

[फा० सं० पी० आर०-12012/11/95-पी ई-1]

के० आर० भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 155(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trusts (Recruitment of Heads of Departments) Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees for the

Port of Jawaharlal Nehru and set in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following Regulations, viz :—

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Amendment Regulations, 1996.

(ii) They shall come into effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule attached to these Regulations, Column No. 2 "Designation" against Sr. No. 2 shall be read as "Deputy Conservator instead of Harbour Master".

Foot Note:—

The principal Regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 512 (E) dated 14-07-1993.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF HARBOUR MASTER (RE-DESIGNATED AS DEPUTY CONSERVATOR)

1	2	3	4	5	6	7
2.	Harbour Master (Re-designated as Dy. Conservator)	1	Rs.6000-175-7225	1	45 years	Essential:— 1. A certificate of competency as Master of Foreign Going Ships issued by MOST or equivalent certificate. 2. 15 years experience in pilotage/navigation of seagoing vessels. Desirable :— Degree/Diploma in Management from an Institute recognised by a Govt.

8	9	10	11
Qualification :—Yes Age :—No	Promotion/Transfer on deputation/transfer failing both by direct recruitment.	Promotion :— A person holding a post of Sr. Dock Master for a period of 3 years failing which Dock Master for a period of 5 years. Transfer/Transfer on deputation :— A person holding analogous post or a post analogous to Sr. Dock Master for a period of 3 years or a post analogous to Dock Master for a period of 5 years. (Normal deputation period will be three years.)	2 years

[F.No. PR-12012/11/95-PE-I]

K.R. BHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996